FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) मुकाम बायतु

खरथाराम बनाम हीराराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा० आवेदन 111/128 RLR Act नं. 405 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.12.2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री खेताराम आचार्य ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RLR राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 19/1/2021 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
19/01/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल रिपोर्ट तामिल शुदा। चूंकि पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इन्तजा होकर आगामी दिनांक 26/04/2021 को पेश हो।	
26/04/2021	पत्रावली पेश हुई वकुलाय परिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अतः पत्रावली इन्तजा होकर दिनांक 27/10/2021 को पेश हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.14 17:13:22 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म

27/10/2021 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीगण बावजूद तामील गैरउपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्पों में व्यस्त होने से मिसल इजलास होकर आगामी दिनांक 10/01/2022 को पेश होवे।

10/01/2022 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण गैरहा०। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इजलास होकर आगामी दिनांक 14/02/22 को पेश होवे।

14/02/2022 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण बावजूद तामील गैरउपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अन्तिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई विपक्षीगण ~~बावजूद तामील~~ स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया की प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेत लगे लगे आये हुए है खेतों के मध्य जो पुरानी मांढे व कुएं आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है जिससे प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है खेत के सीमा [illegible] प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य झगड़ा [illegible] प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं [illegible] नियमबन्दी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का नियमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर नियमबन्दी आदेश किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.14 17:13:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (SDO) बापु[illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नसबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व सम्बंधित भू० अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पत्थर नसबन्दी मौके पर कमिश्नर रिपोर्ट जमा करावें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो पत्रावली फैसल शुमार होकर इन्द्राज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.14 17:13:22 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2022 / 1629 दिनांकः– 14/2/22

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1. खरथाराम पुत्र नगाराम वगैरा, जाति मेगवाल, निवासी करनपुर, पटवार मण्डल चौखला, तहसील बायतु (बाड़मेर)	1. हीराराम पुत्र जेठाराम वगैरा 09 जाति जाट, निवासी करनपुर पटवार मण्डल चौखला तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 405/2020

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – करनपुर, पटवार मण्डल – चौखला , तहसील – बायतु, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 186, 192 रकबा क्रमशः 6.9574, 5.7601 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशन नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500/– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO) बायतु

क्रमांक / वाद / 2022 / 1630-34 दिनांकः– 14/2/22

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का चौखला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री खरथाराम पुत्र नगाराम वगैरा
4. विप्रार्थी श्री हीराराम पुत्र जेठाराम वगैरा 09
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.14 17:13:22 IST
Reason: SelfAttested